न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 25.06.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00217

श्री देवेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह राठौर जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हांसला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

बनाम

1–सरकार जरिये उप तहसीलदार बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–पटवारी हल्का अभयपुर, तहसील व जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश उप तहसीलदार बस्सी के प्रकरण संख्या 487/2019 आदेश दिनांक 28.11.2019

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थितिः– 1– श्री राघेश्याम वैष्णव, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक,

निर्णय

दिनांक 27.07.2021

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार हल्का अभयपुर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 92 रकबा 0.24 है. बिलानाम कृषि भूमि पर अपीलांट द्वारा सम्वत् 2076 में खरीफ की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 28.11.2019 को लगान का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, बस्सी से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार हल्का अभयपुर की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 92 रकबा 0.24 है. बिलानाम भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये उसी दिनांक को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश जारी करते हुए लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित कर दिये जो निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 92 रकबा 0.24 है. पर विगत कई वर्षो से कच्चा निर्माण कर निवास हेतु उपयोग किया जा रहा है तथा शेष रकबा पड़त पटवारी हल्का रिपोर्ट से प्रमाणित है जिस पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी साक्ष्य-सबूत के मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानते हुए बेदखली व शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आदेशिका पर हस्ताक्षर करा सुनवाई की तारीख की जानकारी दिये बिना ही बाद में पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.02.2020 को पटवारी द्वारा पेनल्टी वसूल करने आने पर हुई जिस पर उसी दिनांक को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य कराये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट द्वारा कई वर्षो से कच्चा निर्माण कर निवास हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.19 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के विरूद्ध की जा रही बेदखली की कार्यवाही को समाप्त किए जाने का आदेश पारित फरमावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है। अतः अपीलांट का कथन कि सुनवाई की तारीख की जानकारी दिये बिना ही बाद में निर्णय पारित कर दिया तथा जवाब एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में ग्राम रघुनाथपुरा की प्रश्नगत आराजी नम्बर 92 रकबा 0.24 हैक्टेयर पर विगत कई वर्षो से निर्माण एवं कब्जा-काश्त होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत आराजीयात आराजी नम्बर 92 रकबा 0.24 है. ग्राम रघुनाथपुरा की किस्म पाल (बिलानाम) भूमि है जो कि नियमन योग्य नहीं है। साथ ही अपीलांट ने विवादित आराजीयात पर उसका पुराना कब्जा होने बाबत कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे उसका अतिक्रमण नियमन की परिधि में आता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का अभयपुर की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 92 रकबा 0.24 है. किस्म पाल भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2019 यथावत रखा जाता है।

"निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़